

FORM No. III

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर. मुकाम...खीवसर...  
कस्म मुकदमा...राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर टी एक्ट

गेनाराम बनाम सुखाराम

मु. नं. 126 .....सन्. 2022.


725

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	<p>04.11.2022</p> <p>वारी तहसीलदार ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर टी एक्ट के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो । पत्रावली दिनांक 16.11.2022 को पेश हो ।</p> <p>सहायक कलक्टर खीवसर</p> <p>16/11/22</p> <p>पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में / अपस्थित/में है/ स्थानान्तरण हो चुका है/ अनुपस्थित पर गये हुए हैं। पत्रावली आगामी दिनांक को 20/11/22 को पेश</p> <p>30/11/22</p> <p>पत्रावली पेश । वहुलाग उपस्थित । वहीलवादी रूप ही नोटिस लखाना पेश करे जो चरुपा हेतु जारी ही। पत्रावली लखी हेतु दिनांक 6/12/22 को पेश ही।</p> <p>6/12/22</p> <p>पत्रावली पेश । वहुलाग उप. । वारी रूप प्रतिवादी को न्यायलय कोर्ट में-</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए</p>

सहायक कलक्टर  
खीवसर

प्रमाण - बार-बार साक्षात् दिखवाती रही, प्रमाण में  
 शामिल। बार-बार व्यापारिक गैर में साक्षात् दिखवाती  
 गये के पश्चात भी कोई भी उपस्थित नहीं होने के  
 कारण एतद् विद्वा शुक पत्नी की कार्यवाही अदालत में लानी  
 जाती है। वकीलवादी ने निवेदन कर बताया कि कच-  
 में उक्त प्रकरण में पेशी नहीं करवाया हुआ है। एतद्  
 पत्रावली को स्वच्छित करवाया जाएगा है। क्रम: वकील  
 वादी के निवेदन पर उक्त प्रकरण को कच में पेशी-  
 कच हाजरी में स्वच्छित किया जागा है। वादी के  
 निवेदन पर उक्त प्रकरण को पुनः Reopen या-  
 Reopen किया जा सकता है।

पत्रावली फाइल अंतर्गत दोषारोपित के  
 कम होना बाद जाया शकिल होगा है।

  
 सहायक कलेक्टर  
 (S.D.O.), जयपुर

प्रमाणित किया जाता है  
 दिनांक 10/11/2024